



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



CIN : L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/2019/50549

दिनांक: 2 January, 2020

Shri Sama Sathish Reddy,
Flat No.405,Vijaya Chandra Apartments,
RR School, Raparthi Nagar Burhanpuram,
Khammam, Pin: 507001, Telangana

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 5 December, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 मे संलग्न है ।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,

कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 2/01/2020

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) व के. लो. सू. अधिकारी

Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त श्री Sama Satish Reddy का निवेदन

1	Please provide Annual Increment rules and regulations for employees in your organization.
3	Please provide rules and regulations of increment applicability on Promotion to next grade or cadre
4	Please provide annual increment rules and regulations for Newly Recruited Employees in the organization.
Reply	A uniform rate of 3% of Basic Pay is applicable for both annual increment as well as promotion increment, rounded off to the next multiple of Rs. 10/-

2.

The first increment in a scale of pay shall be drawn from the first date of the quarter (referred to as 'Standard Dates' hereinafter) falling in the next calendar year as detailed below :

Sl. No.	Employee appointed or promoted between	Standard Dates
i)	1st January & 31st March	1st January
ii)	1st April & 30th June	1st April
iii)	1st July & 30th September	1st July
iv)	1st October & 31st December	1st October

